उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 39/2016/560(4)/छप्पन-2016-93/15 टी0सी0-1
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2016

वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन विभाग के अनुदान संख्या-38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में इंगित लेखाशीर्षक के सापेक्ष तथा उसके नीचे दिये गये कारणों से प्राविधानित धनराशि की व्यय की आवश्यकता न होने के कारण कुल रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग को पुर्नग्रहण हेतु समर्पित की जाती है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	**समर्पित की जाने वाली धनराशि**
3053-नागर विमानन-आयोजनेत्तर-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03-हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-	125
(रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)	

<u>बचत के कारण:</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवश्यकतानुसार हवाई पट्टियों का अनुरक्षण कार्य कराये जाने के कारण रूपये 1,25,000/-(रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की बचत हुई है।

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

<u>संख्या: ई-7-339(3)/दस-2016-तद्दिनांक 31 मार्च, 2016</u>

प्रतिलिपि महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त रूपये 1,25,000/-(रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग द्वारा पुनग्रहीत कर ली गई है।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 39/2016/560(5)/छप्पन-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।